

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 652  
उत्तर देने की तारीख 03 दिसम्बर, 2025

4जी/5जी मोबाइल टावर अवसंरचना

652. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लगाए गए मोबाइल टावरों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है और विशेष रूप से तमिलनाडु में तथा खासकर अरनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाए गए टावरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु में विशेष रूप से ग्रामीण, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में कवरेज में कमी या कमजोर नेटवर्क क्षेत्रों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और ई-शासन सेवाओं के लिए विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए 4जी/5जी मोबाइल टावर अवसंरचना का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कॉल ड्रॉप, कम डेटा गति या लंबे समय तक नेटवर्क न होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो इन्हें ठीक करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) तमिलनाडु के सभी गांवों में सार्वभौमिक मोबाइल नेटवर्क प्राप्त करना सुनिश्चित करके डिजिटल समावेशन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने की योजना है?

उत्तर  
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा पिछले तीन वर्षों में संस्थापित किए गए बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की राज्य-वार संख्या अनुबंध-1 में दी गई है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में कुल 863 बीटीएस संस्थापित किए गए हैं।

(ख) से (ड) सरकार ने तमिलनाडु के ग्रामीण, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों सहित देशभर में सार्वभौमिक मोबाइल नेटवर्क पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सेवा से वंचित सभी गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए 4जी सेचुरेशन स्कीम शुरू की है।

जी हाँ, कॉल ड्रॉप और कम डेटा स्पीड समेत नेटवर्क कनेक्टिविटी में समस्याओं के बारे में शिकायतें मिली हैं। सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने और देश में 4जी/5जी मोबाइल टावर अवसंरचना का विस्तार करने के लिए, कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. 2022 में 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी।
- ii. समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), बैंक गारंटी (बीजी) और ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए वित्तीय सुधार।
- iii. 2022 में और उसके बाद की नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार को हटाना।
- iv. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) मंजूरी के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण।
- v. आरओडबल्यू अनुमतियों और दूरसंचार अवसंरचना की संस्थापना की मंजूरी के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल और आरओडबल्यू (राइट ऑफ वे) नियमों का शुभारंभ।
- vi. छोटे सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए समयबद्ध अनुमति।

दिनांक 03.12.2025 को लोकसभा के अतारंकित प्रश्न सं. 652 के उत्तर में उल्लेखित अनुबंध

पिछले तीन सालों में संस्थापित किए गए बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या (दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2025 तक):-

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 01.04.2022 से 31.10.2025 तक संस्थापित किए गए बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या
असम	19,067
बिहार	52,098
छत्तीसगढ़	19,725
गोवा	2,319
गुजरात	59,468
हरियाणा	34,607
हिमाचल प्रदेश	9,472
झारखंड	18,308
कर्नाटक	48,942
केरल	45,343
मध्य प्रदेश	48,296
महाराष्ट्र	95,695
मणिपुर	1,999
मेघालय	2,093
मिजोरम	949
नागालैंड	1,515
ओडिशा	35,171
पंजाब	27,827
राजस्थान	52,133
सिक्किम	506
तमिलनाडु	64,548
तेलंगाना	34,499
त्रिपुरा	2,580
उत्तर प्रदेश	1,22,943
उत्तराखंड	11,493
पश्चिम बंगाल	62,476
अंडमान और निकोबार (यूटी)	434
चंडीगढ़ (यूटी)	1,284
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	766
दिल्ली	22,203
जम्मू और कश्मीर	12,406
लद्दाख	740
लक्षद्वीप (यूटी)	30
पुडुचेरी (यूटी)	1,068